E-Mail/
S~ed Post

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–ज0वि0प्र0–11/2018– 4104 खाद्य, पटना/दिनांक– 24/08/18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

विषय :– जन वितरण प्रणाली की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–634 दिनांक 19.07.2018

महाशय,

निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करना चाहेंगे। जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को आरक्षण देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निदेश निर्गत है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–7 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आदर्श रोस्टर बिन्दु लागू होगा। उल्लेखनीय है कि आरक्षित श्रेणी में आपसी मेधा का ही मूल्यांकन उचित है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 11687 दिनांक 30.08.2016 एवं परिपत्र सं0 2526 दिनांक 18.02.2016, जो स्वतः स्पष्ट है, के आलोक में समुचित कारर्वाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

23/8/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2018– 4104 खाद्य, पटना/दिनांक– 24/08/18

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारर्वाई हेतु प्रेषित।

23/8/XVIII
सरकार के अपर सचिव।